

an>

Title: Need to formulate a policy to provide government jobs to dependents of martyred soldiers.

श्री हुकुम सिंह (कैयना) : हाल के कुछ वर्षों में पाकिस्तान की सीमा से लेकर कश्मीर तथा चीन की सीमा तक आतंकवादी घटनाओं में शहीदों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। केन्द्र सरकार द्वारा नियमानुसार यथोचित सहायता प्रदान की जाती है परन्तु मुख्य समस्या शहीदों के आश्रित परिवारों की है। यह नितांत आवश्यक है कि सुस्पष्ट अधिनियम बनाकर सुनिश्चित किया जाए कि जो जवान अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए सीमा पर शहीद होंगे, उनके आश्रितों को योग्यता के अनुरूप सरकारी नौकरी दी जाए और इस दिशा में अतिराम्य प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाए।